कार्यवाही विवरण

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के अंतर्गत (1) मे0 आनंद इंटरप्राईजेस, सहगांव लाईम स्टोन माईन (रकबा–3.237 हेक्टेयर) ग्राम सहगॉव, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग–40,000 टन/वर्ष, (2)मे0 रूपरेला ब्रदर्स, लाईम स्टोन माईन (रकबा–4.047 हेक्टेयर), ग्राम–सहगॉव, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग–16732.5 टन/वर्ष, (3)मे0 बी.एल. रमानी, लाईम स्टोन माईन (रकबा–3.525 हेक्टेयर),ग्राम–नंदिनी खुंदनी., तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग–9,000 टन/वर्ष, (4)मे0 नंदिनी खुंदनी लाईम स्टोन माईन, (श्री संजय अग्रवाल) (रकबा–2.03 हेक्टेयर),ग्राम–नंदिनी खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग–9,000 टन/वर्ष, (5) मे0 नंदनी खुंदनी लाईम स्टोन माईन (श्री नंदकुमार कुंभकार) (रकबा–2.96 हेक्टेयर), ग्राम–नंदिनी खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग–40,000 टन/वर्ष, (6) मे0 सहगॉव लाईम स्टोन माईन, (श्रीमती रत्ना पांडे), (रकबा–1.30 हेक्टेयर), ग्राम– सहगॉव, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग–9,000 टन/वर्ष, (7) मे0 सहगॉव लाईम स्टोन माईन, (श्रीमती लालमति सिंह), (रकबा–4.82 हेक्टेयर), ग्राम–सहगॉव, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग–81,250 टन/वर्ष, (8)मे0 नंदिनी खुंदनी लाईम स्टोन माईन (श्रीमती मोहिनी देवी मिश्रा), (रकबा–1.92 हेक्टेयर), ग्राम–नंदिनी खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग – 40,500 टन/वर्ष , (9) मे0 नंदिनी खुंदनी लाईम स्टोन माईन (श्रीमती मोहिनी देवी मिश्रा), (रकबा–4.55 हेक्टेयर), ग्राम–नंदिनी खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग–40,000 टन/वर्ष, (10) मे0पथरिया लाईम स्टोन माईन (श्री ए.के.वर्मा) (रकबा–3.47 हेक्टेयर), ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग–9000 टन/वर्ष, (11) मे0 पथरिया लाईम स्टोन माईन (श्री ए.के.वर्मा) (रकबा–2.16 हेक्टेयर), ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा,जिला–दुर्ग –9000 टन/वर्ष, (12) मे0 नंदनी खुंदनी लाईम स्टोन माईन (श्री भगतराम साहू) (रकबा–0.955 हेक्टेयर), ग्राम–नंदिनी खुंदनी, तहसील – धमधा, जिला–दुर्ग,– 2095.64 टन/वर्ष, (13) मे0 नंदनी खुंदनी लाईम स्टोन माईन (श्री हेमन्त कुमार साहू) (रकबा–1.45 हेक्टेयर), ग्राम–नंदिनी खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग–25000 टन/वर्ष, (14) मे0 नंदनी खुंदनी लाईम स्टोन माईन (श्री विरेन्द्र चोपड़ा)(रकबा–4.80 हेक्टेयर), ग्राम–नंदिनी खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग,– 41,000 टन/वर्ष (15) मे0 मेड़ेसरा.लाईम स्टोन माईन (श्री संजय अग्रवाल) (रकबा–3.97 हेक्टेयर), ग्राम–मेड़ेसरा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग–25,500 टन/वर्ष, (16) मे0 मेड़ेसरा लाईम

स्टोन माईन (श्रीमती अल्पा श्रीवास्तव) (रकबा–8.20 हेक्टेयर), ग्राम–मेड़ेसरा,तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग – 1,68,000 टन/वर्ष, (17) मे0 संतोष मिनरल्स (नंदिनी खुंदनी लाईम स्टोन माईन) (रकबा–3.11 हेक्टेयर), ग्राम–नंदिनी खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग–9000 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 03 अक्टूबर 2019 दिन गुरूवार को दोपहर 12:00 बजे अपर कलेक्टर, जिला–दुर्ग की अध्यक्षता में स्थल–शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम–मेड़ेसरा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में आयोजित लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण :–

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली की ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के अंतर्गत (1) मे0 आनंद इंटरप्राईजेस, सहगांव लाईम स्टोन माईन (रकबा–3.237 हेक्टेयर) ग्राम सहगॉव, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग–40,000 टन/वर्ष, (2) मे0 रूपरेला ब्रदर्स, लाईम स्टोन माईन (रकबा–4.047 हेक्टेयर), ग्राम–सहगॉव, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग–16732.5 टन/वर्ष, (3)मे0 बी.एल. रमानी, लाईम स्टोन माईन (रकबा–3.525 हेक्टेयर), ग्राम–नंदिनी खुंदनी., तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग–9,000 टन/वर्ष, (4) मे0 नंदिनी खुंदनी लाईम स्टोन माईन, (श्री संजय अग्रवाल) (रकबा–2.03 हेक्टेयर), ग्राम–नंदिनी खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग–9,000 टन/वर्ष, (5) मे0 नंदनी खुंदनी लाईम स्टोन माईन (श्री नंदकुमार कुंभकार) (रकबा–2.96 हेक्टेयर), ग्राम– नंदिनी खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुग–40,000 टन/वर्ष, (6) मे0 सहगॉव लाईम स्टोन माईन, (श्रीमती रत्ना पांडे), (रकबा–1.30 हेक्टेयर), ग्राम– सहगॉव,तहसील–धमधा,जिला–दुर्ग–9,000 टन / वर्ष, (7)मे0 सहगॉव लाईम स्टोन माईन, (श्रीमती लालमति सिंह), (रकबा–4.82 हेक्टेयर), ग्राम–सहगॉव, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग–81,250 टन/वर्ष, (8) मे0 नंदिनी खुंदनी लाईम स्टोन माईन (श्रीमती मोहिनी देवी मिश्रा), (रकबा–1.92 हेक्टेयर), ग्राम–नंदिनी खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग–40,500 टन/वर्ष ,(9) मे0 नंदिनी खुंदनी लाईम स्टोन माईन (श्रीमती मोहिनी देवी मिश्रा), (रकबा–4.55 हेक्टेयर), ग्राम– नंदिनी खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग–40,000 टन/वर्ष, (10)मे0 पथरिया लाईम स्टोन माईन (श्री ए.के.वर्मा) (रकबा–3.47 हेक्टेयर), ग्राम–पथरिया, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग–9000 टन/वर्ष, (11) मे0 पथरिया लाईम स्टोन माईन (श्री ए.के.वर्मा) (रकबा–2.16 हेक्टेयर), ग्राम–पथरिया, तहसील – धमधा, जिला–दुर्ग–9000 टन/वर्ष, (12) मे0 नंदनी खुंदनी लाईम स्टोन माईन (श्री भगतराम साहू) (रकबा–0.955 हेक्टेयर),ग्राम–नंदिनी खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग–2095.64 टन/वर्ष,(13) मे0 नंदनी खुंदनी लाईम स्टोन माईन (श्री हेमन्त कुमार साहू) (रकबा–1.45 हेक्टेयर), ग्राम–नंदिनी खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग–25000 टन/वर्ष, (14) मे0 नंदनी खुंदनी लाईम स्टोन माईन (श्री विरेन्द्र चोपड़ा) (रकबा–4.80 हेक्टेयर), ग्राम–नंदिनी,खुंदनी, तहसील – धमधा, जिला–दुर्ग,– 41,000 टन/वर्ष (15) मे0 मेड़ेसरा लाईम स्टोन माईन (श्री संजय अग्रवाल) (रकबा–3.97 हेक्टेयर), ग्राम–मेड़ेसरा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग – 25,000 टन/वर्ष, (16) मे0 मेड़ेसरा लाईम स्टोन माईन (श्रीमती अल्पा श्रीवास्तव) (रकबा–8.20 हेक्टेयर), ग्राम–मेड़ेसरा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग,– 1,68,000 टन/वर्ष, (17) मे0 संतोष मिनरल्स (नंदिनी खुंदनी लाईम स्टोन माईन) (रकबा–3.11 हेक्टेयर), ग्राम–नंदिनी खुंदनी, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग–9000 टन/वर्ष के पर्यावरणीय स्वीकृति के संबंध में लोक सुनवाई

हेतु उद्योग के आवेदन के परिपेक्ष्य में समाचार पत्रों टाईम्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली दिनांक 01.09.2019 एवं नई दुनिया, रायपुर दिनांक 01.09.2019 में लोक सुनवाई संबंधी सूचना प्रकाशित करवाई गई थी। तद्नुसार लोक सुनवाई दिनांक 03 अक्टूबर 2019 दिन गुरूवार को दोपहर 12:00 बजे अपर कलेक्टर, जिला–दुर्ग की अध्यक्षता में स्थल– शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम–मेड़ेसरा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में आयोजित की गई। ई.आई.ए. अधिसूचना 14.09.2006 के प्रावधानों के अनुसार ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट एवं कार्यपालक सार की प्रति एवं इसकी सी.डी. जन सामान्य के अवलोकन हेतु डायरेक्टर, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, पर्यावरण भवन, सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, क्षेत्रीय कार्यालय (डब्लू.सी.जेड) पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ग्राउण्ड फ्लोर, ईस्ट विंग, न्यू सेक्रेटरिएट बिल्डिंग, सिविल लाईन, नागपुर (महाराष्ट्र), जिला कलेक्टर कार्यालय दुर्ग, जिला पंचायत कार्यालय दुर्ग, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र कार्यालय, दुर्ग, नगर पालिका परिषद–अहिवारा, जिला–दुर्ग, नगर पंचायत–धमधा, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत मेड़ेसरा, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–पथरिया, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–नंदिनी खुंदनी, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–बसनी , जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–करेली, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–कन्हारपुरी, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत– परोड़ा, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–सोनेसरार, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–तितुरघाट, जिला–दुर्ग, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–बरहापुर, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–परसबोड, जिला–दुर्ग, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–रहटादाह, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–दारगांव, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–खजरी, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–मोहरेंगा, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–माटरा, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–गोटा, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–पेंड्रीतराई, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–कंदई, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–हरदी, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–सेमरिया, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–खपरी, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–गिरहोला , जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–बिरौदा , जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–पिटौरा, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–सगनी, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–पोटिया, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–कोड़िया, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–परसदा, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–मलपुरीकला, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–ढौर, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–लहंगा, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–बागडूमर, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–ननकट्ठी, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–बोड़ेगांव, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–रवेलीडीह, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–अरसनारा, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–अहेरी, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–बासीन, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–दनिया, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–सिल्ली, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–दानीकोकड़ी, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–तुमाकला, जिला–दुर्ग, ग्राम पंचायत–गाड़ाघाट, जिला–दुर्ग, मुख्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल पर्यावास भवन,सेक्टर–19 नवा रायपुर, अटल नगर, रायपुर एवं क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में रखी गई हैं। उक्त परियोजना के संबंध में सुझाव, विचार, टीका– टिप्पणियां एवं आपत्तियां इस सूचना के जारी होने के दिनांक से 30 दिन के अंदर क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कार्यालयीन समय में प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया था। लोक सुनवाई की निर्धारित तिथि तक क्षेत्रीय कार्यालय, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, 5/32 बंगला भिलाई, जिला–दुर्ग में कोई मौखिक अथवा लिखित रूप से उक्त परियोजना के संबंध में कोई सुझाव, विचार, टीका–टिप्पणियां एवं आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई हैं।

उपरोक्त 17 खदानों की संयुक्त लोक सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांक 03.10.2019 दिन गुरूवार को दोपहर 12:00 बजे अपर कलेक्टर, जिला–दुर्ग की अध्यक्षता में स्थल–शासकीय उचित मूल्य की दुकान के सामने ग्राम–मेड़ेसरा, तहसील–धमधा, जिला–दुर्ग (छ.ग.) में लोक सुनवाई की कार्यवाही आरंभ की गई।

सर्वप्रथम अपर कलेक्टर, जिला दुर्ग द्वारा निर्धारित समय एवं तिथि पर लोक सुनवाई प्रारंभ करने की घोषणा की गई। तदोपरांत क्षेत्रीय अधिकारी, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई द्वारा लोक सुनवाई प्रारंभ करते हुए भारत शासन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 14.09.2006 के परिपेक्ष्य में लोक सुनवाई के महत्व एवं प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी जनसामान्य को दी गई।

तत्पश्चात् उद्योग की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट द्वारा प्रस्तावित प्रोजेक्ट के संबंध में संक्षिप्त जानकारी दी गई।

अपर कलेक्टर द्वारा उपस्थित जनसमुदाय को लोक सुनवाई संबंधी विषय पर अपने सुझाव, आपत्ति, विचार, टीका–टिप्पणी मौखिक अथवा लिखित रूप से प्रस्तुत करने हेतु आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उपस्थित लोगों ने मौखिक रूप से सुझाव विचार, टीका–टीप्पणिया दर्ज कराया जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

1. श्री नटवर लाल ताम्रकार, अहिवारा, जिला–दुर्ग।

- विगत तीन वर्षो से हम चिंतित है कि ग्राम कोडिया, पोटिया एवं लगभग 50 गांव के लोग काम करके अपनी रोजी रोटी कमाते थे। लोग पलायन करने के लिये विवश थे। शासन द्वारा नंदिनी खुंदिनी, पथरिया द्वारा लाईम स्टोन माइन्स को पुनः चालू करने के लिये लोग सुनवाई आयोजित की गई। इन खदानों से लोगों को रोजगार मिलेगा तथा लोगों को रोजी रोटी मिलेगी। यहां दो बड़ी फैक्ट्रियां एसीसी सीमेंट कंपनी तथा जे.के. लक्ष्मी सीमेण्ट फैक्ट्री लगी है। इनके द्वारा रोजगार मांगने पर भगा दिया जाता है। इस क्षेत्र की ज्वलंत समस्या अहिवारा से पावर हाउस रोड जहॉ पर गिट्टी खदानों की बड़ी बड़ी गाड़ियां चलती है की स्थिति ठीक नही है तथा सड़के अत्यंत जर्जर हो चुकी है। इन मार्गो का डीएमएफ. से उपलब्ध राशि से संधारण करवाया जाये। डीएमएफ. से कोई विकास नहीं हुआ है। यहां पर वापस खदानें चालू होनी चाहिये। मैं इसका समर्थन करता हूं।

2. श्री शिव कुमार वर्मा, सहगांव, जिला–दुर्ग।

- मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नंदिनी खुंदिनी, मेड़ेसरा और सहगांव में स्थित सभी खदानों को पुनः चालू किया जाये। नही तो पलायन की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। निश्चित समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिये। सभी खदानों में एक समय पर ब्लास्टिंग होना चाहिये। जिससे सभी सुरक्षित रहेंगे। खदान एवं क्रशर जो चालू होगा उसमें शासन का नियम लागू होगा, उसकी सतत निगरानी शासन द्वारा किया जाये। क्रशर को पूर्णतः कव्हर्ड होकर जल छिड़काव की व्यवस्था होनी चाहिये तथा संबंधित ग्रामों के

लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिये। सर्वप्रथम इस ग्राम के लोगों को ही रोजगार दिया जाना चाहिये। ग्रामों से संबंधित खदानों से निकलने वाले गिट्टी, डस्ट आदि को संबंधित ग्रामों को आधी कीमतों में दिया जाना चाहिये। खदानों से निकलने वाली पानी को मुफ्त में फसलों की सिंचाई हेतु प्रदान किया जाये। साल में एक बार सामूहिक भोज की व्यवस्था भी खदान संचालकों द्वारा की जानी चाहिये।

3. श्री वकील ताण्डी, अहिवारा, जिला–दुर्ग।

➢ आज 17 खदानों के संबंध में लोक सुनवाई रखी गई है। पूर्व में बोले गये वक्ताओं की बातों का मैं पूर्णतः समर्थन करता हूं। लोक सुनवाई का मैं समर्थन करता हूं। खदान में वायु एवं जल प्रदूषण का नियंत्रण होना चाहिये। ग्राउण्ड वाटर लेवल तक खुदाई नहीं की जाना चाहिये इसका सदैव ध्यान रखना चाहिये। खदानें खुलनी चाहिये, लोगों को रोजगार मिलना चाहिये। परिवहन करने वाले वाहनों को नियंत्रित रूप से भराव करना चाहिये तथा मार्गो का सतत् संधारण किया जाना चाहिये। खदानों से निकलने वाले जल का पुर्नउपयोग किया जाना चाहिये। यहां के लोगों को रोजगार मिलना चाहिये।

4. श्री रजिन्दर सिंह, अहिवारा, जिला–दुर्ग।

➢ इस क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या रोजगार की है। हम लोगों ने आंदोलन करके सीमेण्ट प्लाण्ट क्षेत्र में स्थापित कराया था। लेकिन जनता को इन सीमेण्ट प्लाण्टों से जो उम्मीद थी, वो पूरी खत्म हो गई। इन सीमेण्ट प्लाण्टों में बाहरी लोगों को रोजगार दिया गया है। यहां के शिक्षित बेरोजगारों को भी रोजगार नही दिया गया है। एसीसी एवं जे.के.लक्ष्मी द्वारा जिन खदानों का दोहन किया जा रहा है उससे भी पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। इन 17 खदानों को भी खुलने की परमिशन मिलना चाहिये। ये छोटे खदान प्रबंधक लोगों को रेाजगार देते हैं। इन खदानों से जो राजस्व प्राप्त होता है वह संबंधित ग्रामों के विकास के लिये लगाया जाना चाहिये।

5. श्री ओमी कुमार महिलांग, अहिवारा, जिला–दुर्ग।

➢ 17 खदान के बारे में जो लोक सुनवाई करवाई जा रहा है जो तीन चार वर्षो से बन्द है, इन खदानों को पुनः खुलना चाहिये। जिससे लोगों को रोजगार मिले, इसका मै पूर्ण रूप से समर्थन करता हूं। संबंधित ग्रामों के लोगों को कम दामों में गिट्टी एवं डस्ट मिलना चाहिये। खदानों से जो रायल्टी मिलती है उसका उपयोग संबंधित ग्रामों के स्कूलों एवं ग्रामों के विकास में होना चाहिये। संबंधित रोड़ का पूर्णतः संधारण होना चाहिये। रोड तत्काल बनना चाहिये। संबंधित ग्रामों का विकास होना चाहिये।

6. श्री रविशंकर सिंह, पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत, अहिवारा, जिला–दुर्ग।

➢ हमारे जीवन यापन के दो महत्वपूर्ण अंग है, एक कृषि एवं दूसरा खदान। हमारे क्षेत्र में चूना पत्थर का भण्डार है। चूना पत्थर भिलाई स्टील प्लाण्ट जाता है। हमारे क्षेत्र के चूना पत्थर से सीमेण्ट इकाई भी चल रही है। इस क्षेत्र में 17–20 खदानें हैं जो कि 20–25 वर्षो से संचालित है। जो कि विगत 3–4 वर्षो से बन्द है। हमारे क्षेत्र के चूना पत्थर से रेलवे तथा कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र में बहुत काम आता है। विगत 3–4 वर्षो से

खदानों का संचालन बन्द हुआ जिससे यहां के खदानों में कार्यरत मजदूर तथा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से बहुत लोग बेरोजगार हो गये है, जिससे डेढ़ से दो हजार लोगों का रोजगार प्रभावित हुआ है। जे.पी. सीमेण्ट को नंदिनी खुंदिनी में लगाया जाना था, लेकिन जे.पी.सीमेण्ट को भिलाई स्टील प्लाण्ट के पास लगाया गया है जिससे यहां पर रोजगार प्रभावित हुआ है। हमारे क्षेत्र में बडे बडे उद्योग लगने थे, लेकिन नही लगा। हमारे क्षेत्र से चूना पत्थर का दोहन होता है, यह चूना पत्थर जामुल सीमेण्ट प्लाण्ट में जाता है। जिससे इसकी रायल्टी प्रभावित ग्रामों को नही मिलती है। 28–30 प्रतिशत रोजगार स्थानीय लोगों को मिलना चाहिये। क्षेत्र में बड़ी बड़ी खदानें संचालित है जिस तरह से जल, वायु तथा ध्वनि प्रदूषण का नियंत्रण करते हैं, वैसे ही ये छोटी खदानें भी इन प्रदूषणों का नियंत्रण करेंगे। अतः इन्हें अनुमति मिलना चाहिये। यहां के मार्गो का संधारण अच्छी तरह से होना चाहिये एवं उच्च गुणवत्ता एवं दक्षता से सड़क निर्माण करना चाहिये। गाईडलाईन के अनुसार सड़कों का निर्माण होना चाहिये। इन ग्राम पंचायतों की खदानों से रायल्टी की 30 करोड़ की राशि जो डीएमएफ में जमा होती है से ग्रामों का विकास होना चाहिये लेकिन ये विकास आज तक नहीं दिखा है। इन 17–18 क्रशर एवं माइन्स संचालकों के द्वारा यहां विकास का कार्य किया गया है। अतः इन्हें पर्यावरणीय अनुमति मिलनी चाहिये। पर्यावरण के निर्धारित मापदण्डों के अनुरूप खदानों का संचालन होना चाहिये। सारे खदानों को पर्यावरणीय अनुमति मिलनी चाहिये। जिससे इन ग्रामों के युवाओं को रोजगार मिल सके। बड़ी या छोटी कंपनी जो भी हो उससे संबंधित ग्रामों के लोगों को ही रोजगार मिलनी चाहिये। बड़ी खदानों के खनन से आसपास के ग्रामों का जल स्तर गिरा है, अतः बड़ी खदानों में भण्डारित जल का उपयोग ग्रामों में सिंचाई तथा पीने के लिये उपयोग लाने हेतु योजना बननी चाहिये। मैं इस लोक सुनवाई का समर्थन करता हूं।

7. श्री कैलाश नाहटा, नंदिनी खुंदिनी, जिला–दुर्ग।

- 3–4 वर्षो से बन्द पड़ी खदानों को पुनः चालू करना चाहिये। इन खदानों के खुलने से समीपस्थ ग्रामों के लोगों को रोजगार मिलेगा। हमारे क्षेत्र से सबसे ज्यादा चूना पत्थर का दोहन एसीसी सीमेण्ट कंपनी द्वारा किया गया है। अतः एसीसी सीमेण्ट द्वारा मार्ग बनाना चाहिये। हमारे स्थानीय लोगों को रोजगार मिलना चाहिये। जो रायल्टी मिलती है उसका उपयोग गांव के विकास में होना चाहिये।

8. श्री राजेन्द्र कुमार साहू, नंदिनी खुंदिनी, जिला–दुर्ग।

- खदानें खुलना चाहिये। खदानों में भरे हुए पानी को किसानो को सिंचाई हेतु दिया जाना चाहिये। ये खदान प्रबंधक किसानो को पानी नही देते हैं इन्हें पानी देना चाहिये।

9. श्री गैंदलाल जोशी, मेड़ेसरा, जिला–दुर्ग।

हमारे यहां सब पढ़े लिखे लोग हैं खदानों में इनको रोजगार नही दिया जाता है। इन खदान प्रबंधकों के द्वारा कोई भी रोजगार नही दिया जाता है। खदानों में कोई भी वृक्षारोपण नही किया गया है। लगभग 300 फीट से भी गहरी खदानें हैं जिससे पानी ठहरता नही है जिससे कृषि भूमि प्रभावित हो रही है। ग्रामों में कोई विकास कार्य नही

हुआ है। पर्यावरण हेतु वृक्षारोपण नही किया गया है। ब्लास्टिंग से बहुत आवाज आती है। अवैधानिक रूप से उत्खनन भी किया जा रहा है।

10. श्री सुकालू राम, पिटौरा, जिला–दुर्ग।

➢ अनपढ़ लोगों को भी रोजगार मिलना चाहिये।

11. श्री पवन कुमार जैन, जनपद सदस्य, सेमरिया, जिला–दुर्ग।

➢ खदान खुले, लेकिन रोजगार भी मिलना चाहिये। खदान प्रबंधकों द्वारा आज तक किसी भी पंचायतों को विकास हेतु कोई भी पैसा नही दिया गया। राजस्व राशि का पूर्ण रूप से उपयोग संबंधित ग्रामों के विकास में ही होना चाहिये।

12. श्री विष्णु पटेल, हरदी, जिला–दुर्ग।

➢ पिछले बार भी लोक सुनवाई हुई थी, हम लोगों ने मांग की थी, जे.के. लक्ष्मी सीमेण्ट द्वारा विकास हेतु कोई भी राशि नही दी गई। यहां पर दो तीन चौकी बनी है, जिसमें परिवहन किये जाने वाले वाहनों की चेकिंग होती है उसमें जो पैसा लिया जाता है वो कहां जाता है ? रायल्टी कहां जाता है ? हर गाड़ी में रायल्टी कटना चाहिये। रायल्टी के पैसे का उपयोग संबंधित ग्रामों के विकास में होना चाहिये।

13. श्री अजय वार्ष्णेय, अहिवारा, जिला–दुर्ग।

➢ स्थानीय रोजगार ठेकेदारी से न मिले। स्थायी रूप से मिले। जिससे कोई भी दुर्घटना होने पर इंश्योरेन्स कंपनी द्वारा इंश्योरेन्स मिले। ग्रामों में होने वाले कार्यक्रमों में भरपूर सहयोग दिया जाना चाहिये।

14. श्री लोकेश नाहटा, उप संरपंच, नंदिनी खुंदिनी, जिला–दुर्ग।

➢ 17 खदानों के लिये आज लोक सुनवाई आयोजित की गई है। ये 17 खदाने खुलनी चाहिये। लेकिन बाहरी को रोजगार न दिया जाये, स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जाये। मशीनीकरण कम होना चाहिये। प्रदूषण मुक्त तरीके से खदानों को संचालन किया जाना चाहिये। मजदूरों को इंश्योरेन्स/पीएफ की सुविधा होनी चाहिये। परिवहन के दौरान दुर्घटना न हो ऐसी व्यवस्था रखनी चाहिये। 17 खदानों को पर्यावरण स्वीकृति मिलना चाहिये। जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार प्राप्त हो।

15. श्री घनश्याम यादव, सरपंच, नंदिनी खुंदिनी, जिला–दुर्ग।

➢ पूर्व में एसीसी कंपनी की लोक सुनवाई का आयोजन किया गया था। बहुत विरोध हुआ उसके बाद भी उन्हें पर्यावरण स्वीकृति मिली। 17 बन्द खदानों को खुलना चाहिये। इन्हें पर्यावरण स्वीकृति मिलना चाहिये। डीएमएफ फण्ड का उपयोग ग्रामों के विकास में होना चाहिये। हम लोग ब्लास्टिंग एवं धूल खाते हैं लेकिन इसका फायदा शहरों को मिलता है गॉव को नहीं। जे.के. लक्ष्मी द्वारा बाहर के लोगों को रोजगार दिया जाता है।

हमारे स्थानीय लोग रोजगार के लिये भटक रहे हैं। इन खदानों को स्वीकृति मिलना चाहिये जिससे यहां के लोगों को रोजगार मिले।

16. श्री उमेश पासवान, अहिवारा, जिला–दुर्ग।

- सभी 17 खदानों को केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना के तहत पर्यावरण स्वीकृति मिलना चाहिये। जिससे स्थानीय लोगों को रोजगार मिले। एसीसी एवं जे.के.लक्ष्मी द्वारा स्थानीय लोगों को कोई रोजगार नही दिया गया। सड़क सुरक्षा के तहत नंदिनी खुंदिनी से जामुल तक एसीसी कंपनी द्वारा रोड बनाने को कहा गया है। सड़क सुरक्षा समिति को कहा गया है कि एसीसी जामुल द्वारा रोड बनाने शासन द्वारा कहा गया है। एसीसी सीमेण्ट कंपनी द्वारा मिलता जुलता कंपनी बनाकर 67 एकड़ भूमि को अपने पक्ष में कर लिया गया है। एसीसी कंपनी द्वारा सिंघानिया खनिज प्रा0लि0, सिंघानिया मिनरल्स को दी गई 67 एकड़ भूमि को अपने कब्जे में किया गया है।

17. श्री मनोज निषाद, मेड़ेसरा, जिला–दुर्ग।

- 17 कंपनी हो या 01 कंपनी हो दुर्घटना हर समय बनी रहेगी। चार किलोमीटर के रेंज तक इन कंपनियों द्वारा पक्के मकान बनाना चाहिये।

18. श्री पुरूषोत्तम लाल पटेल, जिला–दुर्ग।

- .स्थानीयों को रोजगार मिलना चाहिये। काम चालू होना चाहिये।

19. श्री संतोष कुमार नंदिनी खुंदिनी, जिला–दुर्ग।

- काम चालू होना चाहिये। जिससे स्थानीय को रोजगार मिले।

20. श्री रवि शर्मा, अहिवारा, दैनिक भास्कर पत्रकार, जिला–दुर्ग।

- गिट्टी लेकर जो बड़े बड़े वाहन चलते हैं उससे बहुत दुर्घटना होती है, इनके स्पीड में रोक लगायी जाये। रोड का भी संधारण किया जाना चाहिये।

21. श्री पीलाराम जोशी, मेड़ेसरा, जिला–दुर्ग।

- मै पीलाराम जोशी, मेड़ेसरा का निवासी हूॅ ,जो कि मैं विकलांग 75 प्रतिशत हूॅ। इन्दिरा आवास में 2 साल हो गया है, मेरा नाम नहीं आया है, घर की छत से पानी टपक रहा है, फार्म भरने के बावजूद भी गैस भी नहीं आया है, उसके बारे में बताए। (अपर कलेक्टर द्वारा इस हेतु पृथक से आवेदन करने कहा गया है)

उपरोक्त वक्तव्य के बाद अपर कलेक्टर तथा क्षेत्रीय अधिकारी द्वारा उपस्थित जनसमुदाय से अपने विचार व्यक्त करने का अनुरोध किया गया किन्तु जब कोई भी व्यक्ति अपने विचार व्यक्त करने हेतु उपस्थित नहीं हुआ तब अपर कलेक्टर जिला दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई के दौरान आये विभिन्न मुद्दों के निराकरण हेतु परियोजना प्रस्तावक को आमंत्रित किया गया।

तत्पश्चात् उद्योग की ओर से प्रतिनिधि/कंसलटेन्ट द्वारा परियोजना के संबंध में लोक सुनवाई के दौरान उठाए गए मुख्य मुद्दों के निराकरण हेतु मौखिक रूप से उपस्थित जन समुदाय को अवगत कराया गया। जो कि निम्नानुसार है :–

- ❖ योजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि शिक्षित बेरोजगारों को योग्यतानुसार रोजगार दिया जायेगा तथा स्थानीय लोगों को रोजगार दिया जायेगा, जो पूर्व से ही खदानों में कार्यरत थे, उन्हें भी रोजगार प्रदान किया जायेगा।
- ❖ प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल छिड़काव एवं वृक्षारोपण की व्यवस्था की जायेगी।
- ❖ डीएमएफ की राशि या रायल्टी की राशि से जिला प्रशासन के माध्यम से विकास का कार्य किया जायेगा।
- ❖ वाटर लेवल 30 मीटर नीचे है, खदान की गहराई 30 मीटर से कम रखी जायेगी।
- ❖ जो खदाने बन्द पड़ी है, उनमें वर्षा का पानी भण्डारित है, उनमें जल का संरक्षण किया जायेगा। वर्षा का पानी जिला प्रशासन की अनुमति से नियमानुसार/आवश्यकतानुसार कृषकों को दिया जा सकता है।
- ❖ सभी खदानें अपनी लीज एरिया में संचालित है। लीज क्षेत्र से बाहर उत्खनन नही किया जा रहा है।
- ❖ सभी श्रमिकों को नियमानुसार भुगतान करने के लिये हम बाध्य हैं।

लोक सुनवाई स्थल पर लिखित में 340 सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां प्राप्त हुई। स्थल पर उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति को आवेदक से परियोजना पर सूचना/स्पष्टीकरण प्राप्त करने का अवसर दिया गया। लोक सुनवाई के दौरान 21 व्यक्तियों के द्वारा मौखिक सुझाव/विचार/टीका–टिप्पणी एवं आपत्तियां अभिव्यक्त की गई जिसे अभिलिखित किया गया। लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित जन समुदाय में से **कुल 120** लोगों ने हस्ताक्षर किये हैं। उपस्थिति पत्रक की छांयाप्रति संलग्न है। संपूर्ण लोक सुनवाई कार्यवाही की विडियोग्राफी कराई गई।

अपर कलेक्टर, जिला–दुर्ग द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय को लोक सुनवाई में भाग लेने एवं आवश्यक सहयोग देने के लिये धन्यवाद देते हुए दोपहर **01.43** बजे लोक सुनवाई की कार्यवाही समाप्त करने की घोषणा की गई।

क्षेत्रीय अधिकारी, छ.ग. पर्यावरण संरक्षण मंडल, भिलाई	अपर कलेक्टर जिला–दुर्ग